रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2160] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 13, 2010/आश्विन 21, 1932
No. 2160] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2566(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) और खंड (XIV) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का विचार हे, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (1)(viii) और (3) में अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने वाली जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर इस अधिसूचना का उल्लेख वाली भारत के राजपत्र की प्रतियों के जनता के लिए उपलब्ध होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में रखे गए प्रस्तावों पर कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट की गई अवधि में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को डाक द्वारा अथवा ई-मेल envisect@nic.in के माध्यम से अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव भेज सकता है;

मसौदा प्रस्ताव

जबकि गुजरात राज्य के नवसारी जिले के जलालपोर तालुक में डांडी गाँव और उसके सटे हुए सामापोर, मटवाड और ओंजल नामक तीन गाँवों का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उल्लेखनीय ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में इन गाँवों का दौरा किया और प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन आरम्भ किया;

और जबकि, डांडी सामापोर, मटवाड और ओंजल चारों गाँव अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं और इनकी बहुत ही संवेदनशील तटीय पारि-प्रणाली है, जिसमें मिट्टी के मकान, लंबे तट, रेत के टीले और नम भूमियाँ इत्यादि शामिल हैं;

और जबकि, इस तटीय क्षेत्र में क्षरण हो रहा है तथा यह प्रदूषण से भी प्रभावित है जो नदियों के जल से तटीय जल तक पहुँच रहा है;

और जबकि, इन चारों गांवों के ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक और मानवजनित कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रभावों के कारण, यह आवश्यक समझा गया है कि इस क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया जाए और इस क्षेत्र, जो पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र के मानचित्र में है, जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है, के गांवों के विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के गांधीवादी मूल्यों को बनाए रखा जाए।

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (viii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डांडी और उससे सटे हुए गांवों अर्थात् गुजरात राज्य के 20, 000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए उसे डांडी पारि-संवेदी जोन (यहां इसके बाद " पारि-संवेदी जोन" कहा गया) के रुप में अधिसूचित करती है ।

2. **पारि-संवेदी जोन में निम्नलिखित कार्यकलापों को विनियमित करने का प्रस्ताव है, अर्थात् : -**

क. पारि - संवेदी जोन हेतु एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना :-

(i) पारि- संवेदी जोन हेतु एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने और भारत सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार से परामर्श करते हुए तैयार की जाएगी । एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना पर्यावरणीय मुद्दों, विरासत क्षेत्रों के संरक्षण और सतत विकास को इसमें समाविष्ट करने हेतु सभी संबंधित विभागों की समुचित भागीदारी से तैयार की जाएगी ।

(ii) एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना में सभी विरासत स्थलों और पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय रुप से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा, जिसमें वे क्षेत्र/स्थल शामिल हैं जहां -ख में यथा प्रस्तावित विकास कार्य किया जा सकता है ।

ख. इन कार्यकलापों में निम्नलिखित होंगे :

I. कार्यकलाप I.: तट और तटीय संसाधनों का संरक्षण

(क) कच्छ वनस्पति वनीकरण और बायो-शील्ड : समुद्री तट के किनारे-किनारे कच्छ वनस्पति और बायो-शील्ड का रोपण किया जाएगा । अतिरिक्त कार्यकलाप जैसे तटीय पोषण वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर किए जाएंगे ।

(ख) तटीय विशेषताओं और नम भूमियों का संरक्षण : इस परियोजना में नम भूमियों, तटों, रेत के टीलों, दलदली क्षेत्रों तथा कच्चे मकानों के संरक्षण हेतु सभी उपायों में सहायता की जाएगी ।

II. कार्यकलाप II.: प्रकृति आधारित विकास और संसाधन अपनाया जाना

(क) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन : पारम्परिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाये जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सौर एवं वायु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को स्थापित किया जाएगा जो स्थानीय समुदायों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे ।

(ख) जल संरक्षण : जल और जल गुणवत्ता के संरक्षण के संबंध में गांधी जी की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे प्रदर्शित करने के लिए जल निकायों तथा वर्षा जल उपयोग की पुनर्स्थापना तथा पुनर्विकास । चारों गांवों में पेयजल की परिवार स्तर पर निर्भर योग्य तथा पर्याप्त आपूर्ति में सहायता । इसके लिए परम्परागत जल निकायों की पुनर्स्थापना और सुधार के अलावा एक अपक्षारीकरण संयंत्र का निर्माण किया जाएगा ।

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन : गांधीवादी शिक्षाओं पर आधारित कार्यकलापों जैसे स्वच्छता और अपशिष्ट के पुनःउपयोग को बढ़ावा देना; अपशिष्ट और सीवेज से ऊर्जा और खाद उत्पन्न करने संबंधी कार्यकलाप; सीवेज शोधन योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ।

III. कार्यकलाप III.: एकीकृत गांव और समुदाय विकास का संवर्धन

(क) कार्बन तटस्थ गांव : इस परियोजना में उक्त चारों गांवों सहित विरासत क्षेत्र को स्वच्छ और हरित क्षेत्र में बदलने ; कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने और " प्रकृति की शुद्धता " को बनाए रखने के गांधीवादी आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए " गैर-प्रदूषणकारी क्षेत्र" के लक्ष्य की प्राप्ति संबंधी कार्यकलापों में सहायता की जाएगी ।

(ख) जीविकोपार्जन में सुधार : अपक्षारीकरण हेतु क्षमता निर्माण सहित स्व-सहायता आधारित आय सृजन कार्यकलापों का संवर्धन, कृषि, बागवानी या चारे की खेती हेतु नमभूमियों को उपयुक्त बनाना; क्षारीकरण सहन करने वाली फसलों और पौधों की पायलेटिंग; क्षारीय जल निकायों में मैरीकल्चर तथा संबद्ध सुधार । स्व-सहायता आधारित संवर्धन या खादी उत्पादों तथा स्थानीय हस्तशिल्प के विनिर्माण को

सहायता, विशेष रुप से पर्यटन कार्यकलापों में प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के उपयोग के स्थान पर खादी के मुख्यधारा के उत्पादों का उपयोग ।

IV. कार्यकलाप IV : **पारि-पर्यटन और गन्तव्य स्थल डांडी की " पर्यावरण-अनुकूल " क्षेत्र के रुप में ब्रांडिंग**

(क) **गांव विकास :** स्व-सहायता, गांव विकास और पर्यावरणीय संरक्षण पर गांधीवादी विचारों को सिखाने के लिए उपयुक्त वातावरण सहित प्राकृतिक अनुप्रयोगों, संपूर्ण विरासत क्षेत्र में लैण्डस्केप का विकास करने में सहायता ।

डांडी तट के संरक्षण, स्वच्छता रखरखाव और पंचायत के सक्रिय सहयोग से अन्य पर्यटन सुविधाओं तथा आकर्षणों का विकास । गांव समुदायों को क्षमता विकास सहायता प्रदान करना । वर्षा और तुफान से बचने के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु सहायता ; और उक्त चारों गांवों में निर्मित स्थलों में सुविधाएं तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

(ख) **गांधीवादी मूल्यों तथा नेटवर्किंग के संवर्धन हेतु पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना :** डांडी को एक पर्यटन स्थल के रुप में बढ़ावा देना जो पर्यावरणीय संरक्षण का महत्व दर्शाता हो; जिसमें ब्रांडिंग शामिल हैं, जैसे डांडी में उपयोग में लाए जा रहे और इससे जुड़े सभी उत्पाद पर्यावरण अनुकूल बताया जाना । उन्नत संचार लिंकेज में सहायता करना ताकि (क) इस पारि-पर्यटन स्थल के इस पारि-पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा मिले; (ख) "डांडी मार्च" तीर्थस्थल को सुगम बनाना; (ग) राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, साबरमती आश्रम और देश और विदेश में इसी प्रकार के शिक्षा केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से इस संपूर्ण विरासत क्षेत्र को गांधीवादी विचारों और दर्शन की शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बनाया जाना ।

V. **विनियमित किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे :**

(क) **औद्योगिक इकाइयां :-** सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर अथवा उसके बाद पारि-संवेदी जोन से घरेलू वस्तुओं से उत्पाद उत्पन्न करने वाले केवल गैर-प्रदूषणकारी, गैर-जोखिमकारी लघु और सेवा उद्योग, कृषि, फ्लोरीकल्चर, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों तथा किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न करने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी ।

(ख) **उत्खनन और खनन :** - पारि-संवेदी जोन में उत्खनन और खनन कार्यकलापों पर रोक लगाई जाएगी । तथापि, मॉनीटरिंग समिति के पास स्थल मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय आवास तथा परम्परागत सड़क निर्माण और रखररखाव कार्य हेतु अपेक्षित सामग्री के सीमित उत्खनन हेतु विशेष अनुमति देने का प्राधिकार होगा ।

(ग) **पर्यटन :** पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा तथा पारि- विकास पर बल देते हुए पर्यटन कार्यकलाप चलाए जाएंगे ।

(घ) मानव निर्मित विरासत : भवनों, ढांचों शिल्पों, ऐतिहासिक, वास्तुशिल्पीय, सौंदर्यपरक तथा सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान पारि-संवेदी जोन में की जाएगी और उनके संरक्षण, विशेषकर उनकी बाहरी साजसज्जा (तथा जहां उपयुक्त समझा जाए उनकी आंतरिक साजसज्जा) के लिए योज़नाएं तैयार की जाएंगी तथा इनहें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के अंदर आईसीजैडएम में शामिल किया जाएगा । पारि-संवेदी जोन में भवन एवं अन्य क्रियाकलपों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिदेश जारी किए जाएंगे, ताकि ग्राम और पारि-संवेदी जोन के विशेष स्वरूप एवं विशिष्ट परिवेश को बनाए रखा जा सके । विरासत स्थलों में या उनके चारों ओर विकास अथवा निर्माण क्रियाकलापों को वर्ष 1995 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत स्थलों के लिए मॉडल विनियमों के अनुरुप में राज्य सरकार के सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा ।

(ड.) प्लास्टिक का उपयोग :- कोई भी व्यक्ति पारि-संवेदी क्षेत्रों में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करेगा । पारि-संवेदी जोन में प्लास्टिक, लेमिनेट्स तथा टेट्रा-पैक्स के उपयोग को मॉनीटरी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

(च) वृक्ष : राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार वन भूमि के मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना तथा सरकारी, राजस्व तथा निजी भूमि के मामले में संबंधित जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना पारि-संवेदी जोन के अंदर वन, सरकारी, राजस्व अथवा निजी भूमि में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ।

(छ) ध्वनि प्रदूषण : पर्यावरण विभाग, गुजरात के पास ध्वनि नियंत्रण के लिए दिशानिदेश और विनियम तैयार करने के लिए प्राधिकार होगा ।

(ज) मलजल तथा बहिस्रावों का उत्सर्जन : पारि-संवेदी जोन के अंदर किसी भी जल निकाय में किसी भी बहिस्राव को उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । स्थानीय प्राधिकरण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शोधित बहिस्राव के संग्रहण, शोधन एवं निपटान के लिए उपयुक्त ड्रेनेज एवं शोधन प्रणाली मुहैया करायेगा ।

(झ) ठोस अपशिष्ट : ठोस अपशिष्ट का निपटान तथा समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के का.आ. 908 (अ) द्वारा जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । स्थानीय प्राधिकरण ठोस अपशिष्टों को जैव-अवक्रमणीय तथा गैर-जैव अवक्रमणीय अवयवों में पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे । जैव अवक्रमणीय सामग्री को वरीयतः कम्पोस्टिंग अथवा कृमिफलन के द्वारा पुनः चक्रित किया जा सकता है तथा अकार्बनिक सामग्री को

पारि-संवेदी जोन से बाहर अभिनिर्धारित स्थल पर पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य विधि से निपटान किया जाएगा । ठोस अपशिष्टों को जलाने अथवा भष्मीकरण की अनुमति नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, " ठोस अपशिष्टों " में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा उद्यान अपशिष्ट शामिल होंगे ।

3. **निगरानी समिति :**

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों की मॉनीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करती है जिसे निगरानी समिति कहा जाएगा ।

(2) निगरानी समिति में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(3) निगरानी समिति में डांडी स्मारक समिति के सदस्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, गुजरात पारिस्थितिकी आयोग प्रत्येक से एक-एक सदस्य, पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि तथा गुजरात राज्य में डांडी गांव का कलेक्टर, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति शामिल होंगे;

(4) निगरानी समिति का अध्यक्ष डांडी स्मारक समिति का अध्यक्ष होगा ।

(5) रायगढ़ जिले का कलेक्टर निगरानी समिति का संयोजक होगा ।

4. **निगरानी समिति की शक्तियां एवं कार्य :-**

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निगरानी समिति को अधिसूचना में विशेष रूप से वर्णित कार्यों तथा इनसे संबंधित सभी कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां प्रदान करती है (समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारित किए जाने वाले अपेक्षित कार्य को छोड़कर) ।

(2) यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध ध्यान में आता है और इसके द्वारा जारी निदेशों का पालन न किए जाने की स्थिति में निगरानी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत इत्तिला दायर करे ।

(3) निगरानी समिति अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत निगरानी समिति का सदस्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शिकायतें दायर करेगा ।

5. **अपील :**

(1) निगरानी समिति के निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय अथवा आदेश के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपील कर सकता है ।

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपील के प्रत्येक ज्ञापन में मामले के तथ्यों, इसके विरुद्ध अपील के निर्णय अथवा आदेश, निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित होने के कारणों तथा सुधार के उपायों का विवरण होगा और इसे सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा ।

(3) अपील का प्रत्येक ज्ञापन प्रभावित व्यक्ति द्वारा निर्णय पर आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के अंदर दिया जाएगा ।

(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपील पर अपना मामला पेश करने के लिए पक्षकारों को एक अवसर देने के पश्चात अपील का निपटान, अपील के ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा ।

[फा. सं. 24011/11/2009-एसआईसीओएम]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक "जी"

अनुबंध-I

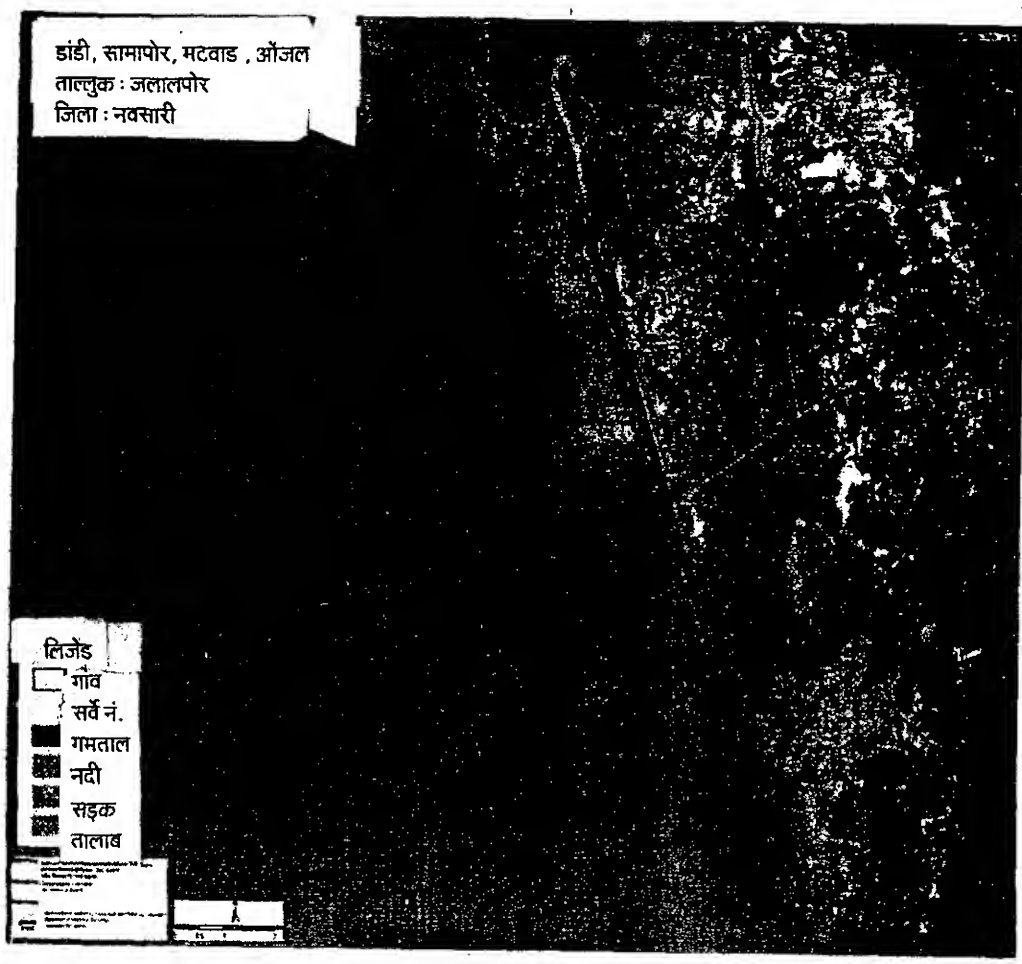

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 13th October, 2010

Notification

S.O.2566(E) - The following is a notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clause (v) and clause (XIV) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (1)(viii) and (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in;

DRAFT PROPOSAL

WHEREAS the Village Dhandi and adjacent three villages namely Samapor, Matwad and Onjal in the Taluq Jalalpore, District Navsari in the State of Gujarat have got significant historical importance in the Indian Freedom struggle as Mahatma Gandhi had visited these villages and launched the famous Salt Satyagrah movement in the year 1930;

AND WHEREAS, the four villages Dandi, Samapor, Matwad and Onjal are located along the Arabian seacoast and have a fragile coastal ecosystem with mudflats, long beaches, sand dunes, wetlands etc.;

AND WHEREAS, the coastal stretch is experiencing erosion and also affected by pollution that is being let off to the coastal waters through river discharge;

AND WHEREAS, due to the historical importance of the four villages, environmental impacts of the natural and anthropogenic activities, it is deemed necessary to protect and conserve the heritage of the area, and to embody Gandhian values of village development and environmental conservation, shown in Annexure-I, which is in the map of the Eco-sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29of 1986) and clause (viii) of sub-rule (1) and rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, the Central Government hereby notifies Dandi and the adjacent three villages viz., covering an area of 20,000 hectares in the State of Gujarat as the Dandi Eco-sensitive Zone (herein after called as the " Eco-sensitive Zone").

2. **The following activities are proposed to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-**

A. Integrated Coastal Zone Management Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) The Integrated Coastal Zone Management Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Central Government in consultation with the State Government within a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and approved by the Ministry of Environment and Forests in the

Government of India. The Integrated Coastal Zone Management Plan shall be prepared with due involvement of all concerned Departments for integrating environmental considerations, conservation of heritage areas and sustainable development into it.

(ii) The Integrated Coastal Zone Management Plan shall demarcate all heritage sites and other environmentally and ecologically sensitive areas including the areas/sites where development can be undertaken as proposed in para B below.

B. The activities shall include the following:

I. ACTIVITY I: Conservation of the Coast and coastal resources

(a) Mangrove afforestation and bio-shield: Mangroves afforestation and bio-shield will be planted on the coast along the shoreline. Additional activities, such as beach nourishment will be undertaken based on scientific studies.

(b) Conservation of coastal features and wetlands: Project will support all measures to conserve wetlands, beaches, sand dunes, marshy areas and mudflats.

II. ACTIVITY II: Adopting Nature-based Development of Resources

(a) Promoting non-convention energy sources: To reduce dependence on conventional energy and to encourage adoption of the Gandhian approach to development based on natural resources, renewable energy sources such as solar and wind will be set up which will provide clean energy to local communities.

(b) Conservation of water: Restoration and redevelopment of water bodies and rainwater harvesting to promote and demonstrate Gandhi's teaching on conservation of water and water quality.

Supporting household level dependable and adequate supply of potable water in the four villages. For this a desalination plant may be constructed in addition to restoration and improvement of traditional water bodies.

(c) Waste Management: To promote practices such as cleanliness and the reuse of waste based on Gandhian teachings; activities related to generating energy and manure from waste and sewage; sewage treatment plan and solid waste management facilities will be instated.

III. ACTIVITY III: Promoting Integrated Village and Community Development

(a) Carbon neutral villages: Project will support activities to transform the Heritage Area including the four villages to be clean and green; to become carbon neutral and to achieve the aim of a "non-polluting area" to demonstrate the Gandian ideal of preservation of the "purity of nature".

(b) Livelihood improvement: Promoting Self-Help based Income Generation Activities including capacity building for desalinization, to make the wasteland suitable for agriculture, horticulture or fodder cultivation; piloting salinity tolerant crops and plants; mariculture and related improvements in the saline water bodies. Supporting Self-Help based promotion or manufacture of Khadi products and local handicraft, especially products to replace any use of plastic by mainstream Khadi products, in the tourism activities.

IV. ACTIVITY IV: Promoting Eco-Tourism and "Environment-Positive" Branding of Destination Dandi

(a) Village development: Support development of nature trails, landscape development in the entire Heritage Area, with an ambience suitable for learning of Gandhian thoughts on self-help, village development and environmental conservation.

Support conservation, cleaning and hygienic maintenance of the Dandi beach, and all other tourism facilities and attractions under construction through active involvement of the Panchayat. Provide capacity building support to the village communities. Support construction of rain and cyclone shelters; and facilitate and ensure safety of built spaces in the four villages.

(b) Promoting eco-tourism to promote Gandhian values and networking: To promote Dandi as a tourism destination which signifies environmental conservation;

including branding, such that all products used and associated with Dandi are environment positive. Support advanced communication linkages so that (a) this eco-toruism attraction of this eco-tourism destination is promoted; (b) the "Dandi March" pilgrimage is facilitated; (c) the entire Heritage Area becomes a major centre for learning on Gandhian thoughts and philosophy in active collaboration with the National Gandhi Museum, the Sabarmati Ashram and the similar centres of learning in the country and abroad.

V. OTHER ACTIVITIES TO BE REGULATED SHALL INCLUDE THE FOLLOWING:

(a) **Industrial units:-** On or after the publication of this notification in the Official Gazette, only non-polluting, non-hazardous small-scale and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industries producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone and which do not cause any adverse environmental impact shall be permitted.

(b) **Quarrying and Mining:-** Quarrying and Mining activities shall be banned in the Eco-sensitive Zone. However, the Monitoring Committee shall be the authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road making and maintenance work based on site evaluation.

(c) **Tourism:-** Tourism activities shall be undertaken, with emphasis on the eco-tourism, eco-education and eco-development.

(d) **Man-made heritage:-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetical, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the ICZM within six month from the date of publication of this notification. Guidelines shall be issued by the State Government to regulate building and other activities in the Eco-sensitive Zone, so that the special character and distinct ambience of the village and the Eco-sensitive Zone are maintained. Development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated under the statutory provisions of the State Government, made in accordance with the Model Regulations for Conservation of Natural and Manmade Heritage Sites formulated by the Ministry of Environment and Forests in 1995 and as amended from time to time.

(e) **Use of plastics:-** No person shall use plastic bags within The Eco Sensitive areas. The use of plastics, laminates and tetra-packs within the Eco-sensitive Zone shall be regulated by the Monitoring Committee.

(f) **Trees:** There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco- sensitive Zone without the prior permission of the State Government in case of forest land and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land as per the procedure which shall be laid down by the State Government.

(g) **Noise pollution:** The Environment Department, Gujarat shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise.

(h) **Discharge of sewage and effluents:** No untreated effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone. The local authority shall provide proper drainage and treatment system for collection, treatment and disposal of untreated / and treated effluent in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(i) **Solid Wastes:** The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 issued vide S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 and amended from time to time. The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components. The biodegradable material may be recycled preferable through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed in an

environmentally acceptable manner at the site identified outside the Eco-sensitive Zone. No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

Explanation:- In this notification, "solid wastes" shall include domestic, industrial commercial and garden wastes.

3. Monitoring Committee:

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Monitoring Committee, to monitor and ensure compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consists of not more than ten members.

(3) The Monitoring Committee shall consist of the members of the Dandi memorial Committee, a representative each from the Ministry of Environment and Forests, Department of Environment of the Government of Gujarat, Gujarat Ecological Commission, two representatives of non-government organisations working in the field of environment (including heritage conservation) and the Collector of Dandi village, in the State of Gujarat, Chairman, Central Pollution Control Board, New Delhi and any other persons or persons nominated by the Central Government.

(4) The Chairman of the Monitoring Committee shall be the Chairman of The Dandi Memorial Committee.

(5) The Collector of Navsari District shall be the Convener of the Monitoring Committee.

4. **Powers and functions of the Monitoring Committee:-**

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and read with Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby empowers the Monitoring Committee to discharge the functions specifically enumerated in the notification and to do all things incidental thereto (except the function as are required to be performed by the Central Government under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of 27th January, 1994, as amended from Lime to time).

(2) It shall be the duty of the Monitoring Committee to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 if commission of any offences under the said Act comes to its notice and in case of non-compliance of the directions issued by it.

(3) The Monitoring Committee or member of the Monitoring Committee authorised by it shall file complaints under the Environment (Protection) Act, 1986.

5. **Appeal:-**

(1) Any person aggrieved by a decision or order of the Monitoring Committee shall prefer an appeal against such decision or order to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests.

(2) Every memorandum of appeal under this paragraph shall precisely state the facts of the case, the particulars of the decision or order appealed against and the reasons for being aggrieved by the decision or order and the remedy sought for and shall be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

(3) Every memorandum of appeal shall be made within ninety days from the date of receipt of the decision or order by the affected person.

(4) The Ministry of Environment and Forests shall, after giving the parties to the appeal an opportunity to present their case, dispose of the appeal within ninety days of date of receipt of the memorandum of appeal.

[F. No. 24011/11/2009-SICOM]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist "G"

ANNEXURE-I

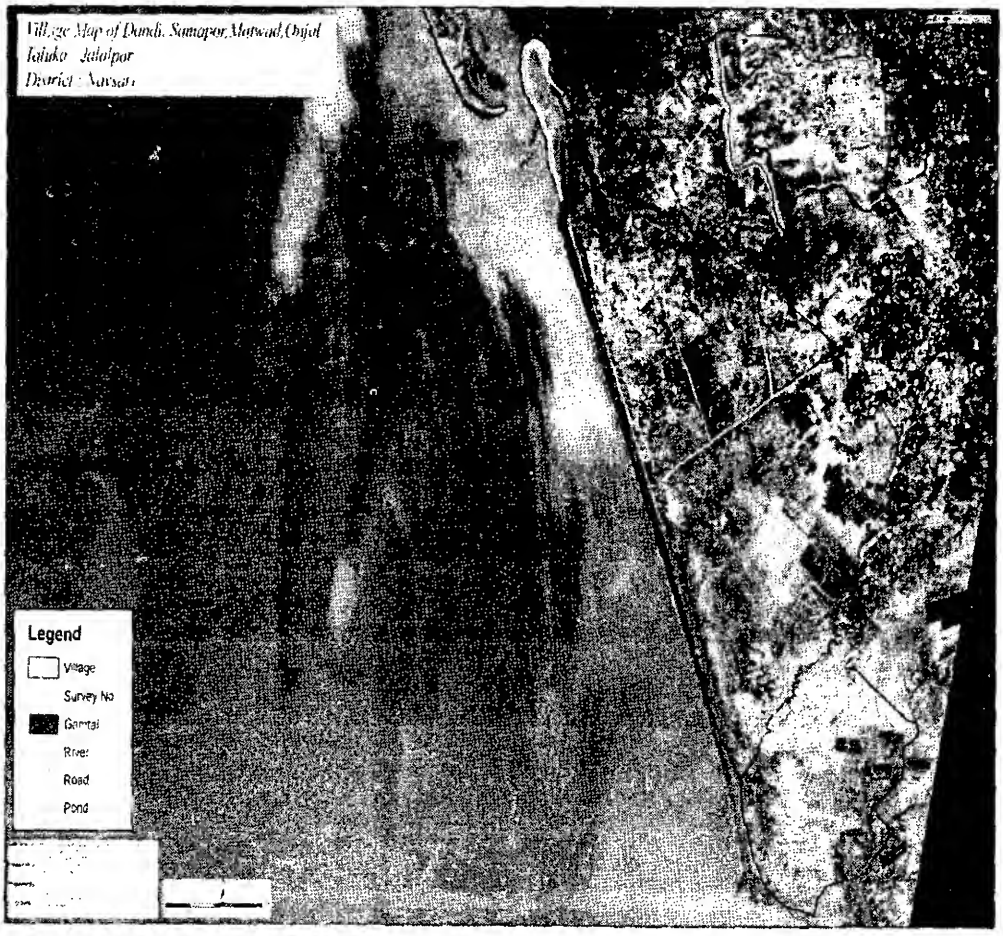

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.